



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 281]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 20, 2007/ज्येष्ठ 30, 1929

No. 281]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 20, 2007/JYAISTHA 30, 1929

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

( कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जून, 2007

सा.का.नि. 438(अ).—केन्द्र सरकार, अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 4 के उप-खण्ड (1) और (2) तथा नियम 7 के उप-खण्ड (ग) के अनुसरण में, हिमाचल प्रदेश सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 में आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन विनियमों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) छठा संशोधन विनियम, 2007 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 की अनुसूची में "हिमाचल प्रदेश" शीर्षक के लिए और इसके बाद आने वाली प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"हिमाचल प्रदेश

1. वरिष्ठ ड्यूटी पद	71	
पद का नाम	पद की संख्या	तैनाती की न्यूनतम अवधि
1	2	3
मुख्य सचिव	1	-
अपर मुख्य सचिव	1	2 वर्ष

1	2	3
प्रधान सचिव	4	2 वर्ष
वित्त आयुक्त (अपील)	1	2 वर्ष
वित्त आयुक्त-सह-प्रधान सचिव (राजस्व)	1	2 वर्ष
प्रधान रेजीडेन्ट आयुक्त, नई दिल्ली	1	2 वर्ष
राज्यपाल के प्रधान सचिव	1	2 वर्ष
मण्डल आयुक्त	3	2 वर्ष
सरकार के सचिव	7	2 वर्ष
सचिव (लोकायुक्त)	1	2 वर्ष
सीईओ-सह-सचिव (निर्वाचन)	1	2 वर्ष
निदेशक, सामाजिक न्याय और अधिकारिता	1	2 वर्ष
उद्योग निदेशक	1	2 वर्ष
उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त	1	2 वर्ष
निदेशक, लोक वित्त और लोक उद्यम	1	2 वर्ष
निदेशक, हिपा (एचआईपीए)	1	2 वर्ष
पंजीयक, सहकारी समितियां	1	2 वर्ष
निदेशक, पर्यटन और नागर विमानन	1	2 वर्ष
निदेशक, सतर्कता	1	2 वर्ष
सरकार के सचिव/विशेष सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव	11	2 वर्ष
सचिव, एचपीपीएससी	1	2 वर्ष
सचिव, खाद्य, सी एस और सी ए	1	2 वर्ष
निदेशक, आर डी एंड पी आर	1	2 वर्ष
श्रम आयुक्त-सह-रोजगार निदेशक	1	2 वर्ष
परिवहन निदेशक	1	2 वर्ष
बंदोबस्त अधिकारी	2	2 वर्ष
उपायुक्त	12	2 वर्ष

1	2	3
आयुक्त, विभागीय जांच	1	2 वर्ष
अपर उपायुक्त	5	2 वर्ष
अपर पंजीयक, सहकारी समितियां	1	2 वर्ष
अपर उद्योग निदेशक	1	2 वर्ष
भू अभिलेख निदेशक	1	2 वर्ष
शहरी विकास निदेशक	1	2 वर्ष
निदेशक, आई टी एंड बी टी	1	2 वर्ष
2. केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिज़र्व, उपर्युक्त मद् 1 के 40 प्रतिशत की दर से	28	—
3. राज्य प्रतिनियुक्ति रिज़र्व, उपर्युक्त मद् 1 के 25 प्रतिशत की दर से	17	—
4. प्रशिक्षण रिज़र्व, उपर्युक्त मद् 1 के 3.5 प्रतिशत की दर से	2	—
5. छुट्टी रिज़र्व और कनिष्ठ पद रिज़र्व, उपर्युक्त मद् 1 के 16.5 प्रतिशत की दर से	11	—
6. भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8 के तहत पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद जो उपर्युक्त मद् 1, 2, 3, 4 के 33.3 प्रतिशत से अधिक न हो	39	—
7. सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (मद् 1+2+3+4+5-6)	90	—
<b>कुल प्राधिकृत संख्या</b>	<b>129</b>	

[सं. 11031/05/2004-ए.आई.एस.-II-ए]

चैतन्य प्रसाद, निदेशक (सेवाएं)

**टिप्पणी :** मुख्य विनियम का.नि.आ. 3350 दिनांक 22 अक्टूबर, 1955 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे। इन्हें बाद में, हिमाचल प्रदेश संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित सा.का.नि. संख्याओं और तिथियों द्वारा संशोधित किया गया :-

क्र.सं.	सा.का.नि. संख्या	दिनांक
1	2	3
1.	457(अ)	22-8-1975
2.	788(अ)	7-9-1976
3.	940	23-7-1977
4.	289(अ)	5-6-1980
5.	951	20-9-1980
6.	528	6-6-1981
7.	944	24-10-1981
8.	27	9-1-1982
9.	917(अ)	24-12-1983
10.	638	6-7-1985

1	2	3
11.	51	23-1-1988
12.	873	12-11-1988
13.	190	26-3-1988
14.	732	7-10-1989
15.	597(अ)	8-9-1993
16.	319(अ)	31-3-1995
17.	234	8-6-1996
18.	739	31-12-1997
19.	206(अ)	15-3-1999
20.	391(अ)	23-5-2007

## MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 18th June, 2007

**G.S.R. 438(E).** —In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951) and in pursuance of sub-clause (1) and (2) of Rule 4 and sub-clause (c) of Rule 7 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of Himachal Pradesh, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, namely:—

1. (1) These regulations shall be called the Indian Police Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Sixth Amendment Regulations, 2007.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, for the heading "Himachal Pradesh" and the entries occurring thereafter, the following shall be substituted namely:—

### "HIMACHAL PRADESH

#### 1. Senior Duty Posts

71

Name of Post	Number of Post	Minimum tenure of posting
1	2	3
Chief Secretary	1	—
Additional Chief Secretary	1	2 years
Principal Secretaries	4	2 years
Financial Commissioner (Appeals)	1	2 years
Financial Commissioner-cum-	1	2 years

1	2	3
Principal Secretary (Revenue)		
Principal Resident Commissioner, New Delhi	1	2 years
Principal Secretary to Governor	1	2 years
Divisional Commissioners	3	2 years
Secretary to Government	7	2 years
Secretary (Lokayukta)	1	2 years
CEO-cum-Secretary (Election)	1	2 years
Director, Social Justice and Empowerment	1	2 years
Director of Industries	1	2 years
Excise and Taxation Commissioner	1	2 years
Director, Public Finance and Public Enterprises	1	2 years
Director, HIPA	1	2 years
Registrar of Co-operative Societies	1	2 years
Director of Tourism and Civil Aviation	1	2 years
Director of Vigilance	1	2 years
Secretary/Special Secretary/Additional Secretary/Joint Secretary to Government	11	2 years
Secretary, HPPSC	1	2 years
Secretary, Food, CS & CA	1	2 years
Director of RD & PR	1	2 years
Labour Commissioner-cum-Director Emp.	1	2 years
Director of Transport	1	2 years
Settlement Officers	2	2 years
Deputy Commissioners	12	2 years
Commissioner, Departmental Enquiries	1	2 years
Additional Deputy Commissioners	5	2 years
Additional Registrar, Co-operative Societies	1	2 years
Additional Director of Industries	1	2 years
Director of Land Records	1	2 years
Director of Urban Development	1	2 years
Director of IT & BT	1	2 years
2. Central Deputation Reserve @ 40% of Item 1 above	28	—
3. State Deputation Reserve @ 25% of Item 1 above	17	—
4. Training Reserve @ 3.5% of Item 1 above	2	—

1	2	3
5. Leave Reserve and Junior Posts Reserve @ 16.5% of Item 1 above	11	—
6. Posts to be filled by promotion under Rule 8 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, not exceeding 33.3% of Items 1, 2, 3 and 4 above	39	—
7. Posts to be filled up by Direct Recruitment (Items 1+2+3+4+5-6)	90	—
<b>Total Authorised Strength</b>	<b>129</b>	

[No. 11031/05/2004-AIS-II-A]

CHAITANYA PRASAD, Director (Services)

**Note :** The principal Regulations were published in the Gazette of India vide No. S.R.O. 3350, dated 22nd October, 1955. There were subsequently, amended in respect of the Himachal Pradesh Cadre vide following G.S.R. Nos. and dates :

Sl.No.	G.S.R. No.	Date
1	2	3
1.	457(E)	22-8-1975
2.	788(E)	7-9-1976
3.	940	23-7-1977
4.	289(E)	5-6-1980
5.	951	20-9-1980
6.	528	6-6-1981
7.	944	24-10-1981
8.	27	9-1-1982
9.	917(E)	24-12-1983
10.	638	6-7-1985
11.	51	23-1-1988
12.	873	12-11-1988
13.	190	26-3-1988
14.	732	7-10-1989
15.	597(E)	8-9-1993
16.	319(E)	31-3-1995
17.	234	8-6-1996
18.	739	31-12-1997
19.	206(E)	15-3-1999
20.	391(E)	23-5-2007